[2021] 2 एस सी आर 640

इन आरईः सीमा विस्तार के लिए सहमति

(2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) संख्या 03)

08 मार्च, 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

सीमा-कोविड-19 महामारी का विस्तार-सामने आने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति का संज्ञान लिया गया

कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर के वादियों द्वारा सीमा के सामान्य कानून के तहत या विशेष कानूनों (केंद्र या राज्य दोनों) के तहत सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाएं/आवेदन/मुकदमे/अपील/अन्य कार्यवाही दायर करने में-दिनांक 23.03.2020 के एक आदेश द्वारा, सीमा की अवधि 15.03.2020 से बढ़ा दी गई थी और 23.03.2020 के आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया था-स्थिति में सुधार और महामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 23.03.2020 के आदेश ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और सीमा का विस्तार भविष्य की कार्रवाई के संबंध में समाप्त हो जाना चाहिए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैंः 1) किसी भी वाद, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, 15.03.2020 से लेकर

14.03.2021 बहिष्कृत रहेगा-नतीजतन, शेष अवधि

15.03.2020 पर शेष सीमा, यदि कोई हो, तो 15.03.2021 से प्रभावी हो जाएगी; 2) ऐसे मामलों में जहां

वास्तविक शेष अवधि के बावजूद, 15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि के दौरान सीमा समाप्त हो गई होगी।

सीमा शेष रहते हुए, सभी व्यक्तियों की सीमा अवधि 15.03.2021 से 90 दिनों की होगी-यदि सीमा की वास्तविक शेष अवधि, 15.03.2021 से प्रभावी, 90 दिनों से अधिक है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी;

15.03.2020 जब तक 14.03.2021 निर्धारित अवधि की गणना करने में भी बाहर रहेगा। 23 (4) और मध्यस्थता का 29 ए और

सुलह अधिनियम, 1996, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का <आईडी1 और धाराओं के प्रावधान (बी) और (सी)। 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और कोई अन्य कानून, जो कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है, बाहरी सीमाएं (जिसके भीतर न्यायालय या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और कार्यवाही की समाप्ति;

भारत सरकार रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करेगी

क्षेत्रों में कहा गया है-"चिकित्सा आपात स्थितियों, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और अन्य के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

आवश्यक कार्य, जैसे कि समयबद्ध आवेदन, जिसमें कानूनी उद्देश्य और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।

तदनुसार, सुओ मोटो रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः सुओ मोटो लेखन याचिका

(सिविल) 2020 का सं. 03

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

अदालतों के प्रस्ताव द्वारा।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, दुष्यंत दवे, पी. एच. पारेख, के. वी. विश्वनाथन, सिद्धार्थ लूथरा, सौम्या चक्रवर्ती, सीनियर।

अधिवक्ता, कानू अग्रवाल, अंकुर तलवार, बी. वी. बलराम दास, जोहेब हुसैन, एम. के. मारोरिया, समीर पारेख, क्षत्रशाल राज, चौधरी, सुश्री प्रत्यूषा प्रियदर्शिनी, सुश्री नितिका पांडे, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, वरुण के. चोपड़ा, अर्शदीप सिंह खुराना, अक्षत गुप्ता, गुरतेजपाल सिंह, राजश्री शर्मा, मेसर्स वी. के. सी. लॉ ऑफिस, सिद्धेश कोतवाल, दिव्यांश तिवारी, सुश्री अना उपाध्याय, सुश्री मन्या हसीजा, निर्निमेश दुबे, यशवर्धन, अपूर्व शुक्ला, सुश्री स्मिता। अवनीश अर्पुथम, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, संजय कुमार पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, सुश्री शशि पाठक, दिव्यकांत लाहोटी, परीक्षित आहूजा, सुश्री प्रवीणा बिष्ट, सुश्री विंध्य मेहरा, सुश्री मधुर झावर, कार्तिक लाहोटी, राहुल माहेश्वरी, जयगोपाल साबू, मुकुल कुमार, महफूज ए. नाजकी, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ,

T.Vijaya भास्कर रेड्डी, अमिताभ सिन्हा, श्रेय शर्मा, सुश्री अन्या घोष, अनिरुद्ध पी. मयी, विवेक नारायण शर्मा, प्रणय गोयल,

निखिल रंजन, उत्कर्ष कुल्वी, प्रणव सहगल, सुश्री राधिका गौतम, सर्वम रितम खरे, सुश्री वृंदा कपूर, सुश्री मीना सहरावत, अरविंद कुमार शर्मा, ए. लक्ष्मीनारायणन, रंजन मुखर्जी, अप्रूव

कुरुप, सुश्री निधि मित्तल, बी. कृष्ण प्रसाद, अनिलेंद्र पांडे, सुश्री सुचिता दीक्षित, संदीप, मधुसूदन, सुश्री एलिजा बार, पाई अमित, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री रिद्धि संचेती, रमेश बाबू एम. आर., अर्जुन गर्ग, सुश्री.

श्रुतिका गर्ग, अविजीत मणि त्रिपाठी, टी. के. नायक, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री अर्चना सहदेव, सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, कृष्णानंद पांडे, वी. एन. रघुपति, एस. थानंजयन, मयंक क्षीरसागर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गयाः

आदेश

1. कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण, इस न्यायालय ने कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया सीमा के सामान्य कानून या किसी विशेष कानून (केंद्र या राज्य दोनों) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों/अन्य सभी कार्यवाहियों को दायर करने में देश भर के वादियों का सामना करना पड़ता है। दिनांक 27.03.2020 के एक आदेश द्वारा इस न्यायालय ने सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को 15.03.2020 से आगे तक बढ़ा दिया, चाहे वह शमनीय हो या नहीं।

आदेश देते हैं। 15.03.2020 दिनांकित आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया था।

हालाँकि, हमने महामारी का अंत नहीं देखा है, लेकिन इसमें काफी सुधार हुआ है। लॉकडाउन हटा लिया गया है और देश सामान्य स्थिति में लौट रहा है। लगभग सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण या तो भौतिक रूप से या आभासी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी राय है कि 15.03.2020 दिनांकित आदेश ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और महामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को देखते हुए, सीमा का विस्तार समाप्त हो जाना चाहिए।

2. हमने भविष्य की कार्रवाई के संबंध में भारत के विद्वान महान्यायवादी के सुझावों पर विचार किया है। हम इसे मानते हैं। निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित हैः -

किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, अपील,

1 .

आवेदन या कार्यवाही, 15.03.2020 से लेकर अब तक की अवधि

14.03.2021 बहिष्कृत रहेगा। नतीजतन, 15.03.2020 पर शेष शेष सीमा अवधि, यदि कोई हो,

15.03.2021 से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे मामलों में जहां सीमा समाप्त हो गई होगी

2 .

15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि, शेष सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद, सभी व्यक्ति

15.03.2021 से 90 दिनों की सीमा अवधि होगी। यदि सीमा की वास्तविक शेष अवधि, 15.03.2021 से प्रभावी, 90 दिनों से अधिक है, तो

अधिक अवधि लागू होगी।

15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि भी रहेगी।

3 .

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29 ए के तहत निर्धारित अवधि की गणना में शामिल नहीं किया गया है, ईः

सीमा विस्तार के लिए सहमति

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए और प्रावधान

कार्यवाही। भारत सरकार दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगी

कंटेनमेंट जोन, राज्य के लिए।

" चिकित्सा के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति होगी आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान, और अन्य आवश्यक कार्य, जैसे कि कानूनी उद्देश्यों सहित समयबद्ध आवेदन, और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित कार्य।

आवश्यकताएँ "।

सुओ मोटू रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

लिखित याचिका का निपटारा किया गया।